न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

पीठासीन अधिकारी: श्याम सिंह शेखावत आर.ए.एस

अपील संख्या: 517 / 2020

मन्दिर श्री ठाकुर जी स्थित ग्राम खेलना, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर जरिये राजस्थान सरकार लेण्ड होल्डर तहसीलदार कोटपूतली, जिला जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी तहसीलदार कोटपूतली, जिला जयपुर।

.... अपीलार्थी

बनाम

बहादुर पुत्र नानगा जाति अहीर, निवासी: पावठा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर हाल आबाद छाजना, तहसील खण्डेला, जिला सीकर राजस्थान जरिये मुख्त्यार रामेश्वर प्रसाद पुत्र श्री भगवान सहाय जाति अहीर, निवासी: ढाणी मालियों की तन खेलना, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

.......रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय डिक्री दिनांक 05.02.2019 न्यायालय सहायक कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर वाद पत्र संख्या 131 / 2018 उनवान बहादुर बनाम मंदिर श्री ठाकुर जी अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर (राजस्थान)

उपस्थित:

श्री जी.एल. मीना एडवोकेट
राजकीय अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री विक्रम प्रताप सिंह एडवोकेट
श्री मदनलाल कुडी एडवोकेट
विद्वान अधिवक्तागण रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक: 11/8/2021

:–निर्णय–:

1. अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष यह अपील न्यायालय सहायक कलक्टर कोटपूतली, जिला जयपुर के निर्णय डिक्री दिनांक 05.02.2019 वाद पत्र संख्या 131 / 2018 बउनवानी बहादुर बनाम मन्दिर श्री ठाकुर जी के विरूद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र बाबत घोषणा, रिकॉर्ड दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि साबिक आराजी खसरा नंबर 1320 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 1321 रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 19 बीघा हाल खसरा नंबर 838 / 4.11, 839 / 0.03, 837 / 2666 / 0.25, 843 / 2668 / 0.20 बंदोबश्त ग्राम खेलना, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर में स्थित है। वादग्रस्त भूमि पर वादी के बुजुर्गान किसना पुत्र सुक्खा कौम अहीर निवासी पावटा बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज चला आ रहा था किसना पुत्र सुक्खा अहीर ने अपने जीवनकाल में दिनांक 07.11.1990 को वादी के नाम स्वेच्छा से बमौजूदगी गवाहान राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र नन्दकिशोर शर्मा निवासी पावटा व श्यामलाल पुत्र मूलचन्द शर्मा निवासी: पावटा के समक्ष एक वसीयतनामा स्टाम्प कीमती 5 रूपये व दो पाई पेपर पर लिखवा दिया था जिसकी मृत्यु के पश्चात् साबिक आराजी खसरा नंबर 1320, 1321 जिनके हाल खसरा नंबर 838 / 4.11, 839 / 0.03, 837 / 2666 / 0.25, 843 / 2668 / 0.20

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

बदोबश्त ग्राम खेलना, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर राजस्थान बने है, पर वादी लगातार बिना किसी बाधा व अडचन के बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज चला आ रहा है। उक्त भूमि मुवाफी जेर मंदिर श्री ठाकुरजी मौजा खेलना मुवाफी भूमि थी जो जागीर की परिभाषा में आती है। राजस्थान भू–सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 के प्रभावी होने से तथा मुवाफी भूमि सन् 1963 में अधिग्रहण होने से धारा 9 व धारा 10 जागीर अधिनियम के अनुसार वादी के बुजुर्गान किसना के निर्धारित तिथि से कृषक होने के कारण तथा मुवाफी जागीर की सम्पत्ति होने से कानूनी प्रभावी होने से स्वतः ही किसना को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे। उक्त भूमि मुवाफी जागीर का पुर्नग्रहण होने पर मुवाफी भूमि राज्य सरकार में निहित हो गई और मुवाफी समाप्त होने और उस पर काबिज कृषक खातेदार किसना को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये और किसना जागीर अधिग्रहण के पश्चात् काश्तकार के रूप में उक्त वर्णित विवादित कृषि भूमि का लगान भी राज्य सरकार को भुगतान करता रहा। इस प्रकार कानूनी प्रावधान लागू होने से किसना खातेदार काश्तकार हो गये जिसकी राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि हो गई थी तथा किसना की मृत्यु के बाद वादी उक्त आराजी पर बतौर खातेदार काश्तकार लगातार काबिज काश्त करता चला आ रहा है आज भी मौके पर वादी उक्त आराजी पर काबिज काश्त है। बंदोबश्त विभाग के अधिकारियों ने बिना सुनवाई का मौका दिये उक्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दर्ज कर दिया। बंदोबश्त विभाग की यह कार्यवाही प्रारम्भ से ही अवैध है एवं वादी के अधिकारों पर प्रारम्भ से ही शून्य व बेअसर है। वादी के पक्ष में माननीय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली ने भी अपने निर्णय दिनांक 03.05.1995 बउनवानी प्रकरण बहादुर बनाम बद्री वगैराह मुकदमा नंबर 250/1993 दावा बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा में डिक्री पारित करते हुये वादी को गैरखातेदार घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये हुये है तथा अब वादी लगातार उक्त भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है। इस प्रकार से वादी उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार बन गया है। आराजी के राजस्व रिकॉर्ड की नकल वादी ने प्राप्त की तो वादी को पता चला कि उक्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दर्ज है जिस पर वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को आराजी का राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करने हेतु कहा तो प्रतिवादी ने राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करने से साफ इंकार कर दिया इस कारण वादी को यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी ने वाद के अन्य बिन्दुओं के साथ वाद कारण कारण अंकित करते हुये अंत में यह अनुतोष चाहा है कि साबिक आराजी खसरा नंबर 1320 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 1321 रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 19 बीघा हाल खसरा नंबर 838/4.11, 839/0.03, 837/2666/0.25, 843/2668/0.20 बंदोबश्त ग्राम खेलना, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर राजस्थान के राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को संपूर्ण आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करवाया जावे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वकील पक्षकारान की बहस सुनकर बाद बहस मनन निर्णय दिनांक 05.02.2019 के माध्यम से वादी का वाद स्वीकार कर वादी को आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित किया। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी रेस्पोडेन्ट्स जारी की गई। वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। अपील मीमों तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट (वाद के प्रतिवादी) ने अपील मीमों के तर्को को दोहराते हुये निवेदन किया कि शाश्वत नाबालिग मंदिर मूर्ति श्री ठाकुर जी के विरूद्व खातेदारी अधिकार घोषणा संबंधी विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 05.02.2019 दोषपूर्ण है। विचारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

न्यायालय ने न्यायिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया। जवाबदावा पत्रावली पर लेने तथा तनकीयात कायम करने हेतु आदेशिका में कुछ भी अंकित नहीं किया। प्रतिवादी के साक्ष्य हेतु नियत किये बिना सीधे ही बहस सनुी एवं निर्णय पारित कर दिया।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने विचारधीन निर्णय को गुणावगुण के आधार पर भी खारिज योग्य बताया। अधिवक्ता प्रतिवादी के अनुसार वादी (रेस्पोडेन्ट) बहादुर पुत्र नानगा के बयान कलमबद्व न करवाकर उनके मुख्त्यारआम के बयान लेखबद्व किये गये। मुख्त्यार आम के बयान के आधार पर दावा डिक्री नहीं किया जा सकता। वादी का वाद रेस्ज्यूडिकेटा के सिद्धान्त से भी बाधित है क्योंकि पूर्व में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.05.1995 के आधार पर नवीन दावा लाने के लिये रेस्पोडेन्ट (वाद के वादी) एस्टोप्ड है। राज्य सरकार को पक्षकार बनाने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस नहीं दिया। मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग होने के कारण सक्षम न्यायालय द्वारा वली नियुक्त किये बिना वाद संस्थित नहीं किया जा सकता। वाद हेतुक उत्पन्न नही हुआ तथा वाद बाद मियाद प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण के संबंध में भू प्रबंध विभाग के समक्ष ही चाराजोरी की जानी चाहिये थी। विवादित आराजी मोजा खेलना राजस्व रिकॉर्ड में मंदिर श्री ठाकुर जी के नाम दर्ज है। मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है जिसकी खातेदारी हस्तान्तरित नहीं की जा सकती है। अतः अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अविधिक होने के कारण खारिज किया जावे। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में कोई न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत नहीं किया गया।

4. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट की अपील मियाद बाहर है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने न्यायालय का ध्यान धारा 5 साक्ष्य अधिनियम के तहत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के पृष्ठ 2 की ओर आकर्षित किया। प्रार्थना पत्र में प्रमाणित प्रतिलिपि आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक, नकल प्राप्त होने की दिनांक तथा राजकीय अधिवक्ता से संपर्क की दिनांक लापरवाहीपूर्वक अंकित नहीं की गई है। प्रार्थना पत्र में दिनांक ...... कर खाली छोड दी गई है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित दो निर्णय स्टेट ऑफ मध्यप्रदेश व अन्य बनाम भैरूलाल निर्णय दिनांक 15.10.2020 एवं Union Of India & Ors vs Visveswaraya Iron & Steel Ltd. निर्णय दिनांक 24.11.1986 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील प्रस्तुत करने में देरी की अवधि एवं लापरवाहीपूर्वक अपील को अंदर मियाद मानने हेतु धारा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, को दृष्टिगत रखते हुये अपील अपीलान्ट भारी कोस्ट के साथ खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने विचारण न्यायालय द्वारा न्यायिक प्रक्रिया का पालन न किये जाने के संबंध में तर्क प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी (अपील के अपीलान्ट) द्वारा प्रस्तुत लिखित वादोत्तर पर शा.मि. किये जाने का अंकन किया है। विचारण न्यायालय ने तनकियात कायम भी की तथा तनकियात को अपने निर्णय में निर्णित भी कया है। लिखित वादोत्तर को रिकॉर्ड पर लेने तथा तनकियात कायम करने को आदेशिका पर दर्ज न करने की न्यायालय की भूल के लिए रेस्पोडेन्ट के अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं हो सकता। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी (अपीलान्ट) द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के सम्मुख कोई दस्तावेजी सबूत साक्षियों के शपथ पत्र ही प्रस्तुत नहीं किये गये है। अतः पत्रावली के प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत किये जाने का औचित्य ही नहीं था। प्रतिवादी साक्ष्य हेतु पत्रावली नियत किये जाने तथा प्रतिवादी साक्ष्य बंद किये जाने का अंकन आदेशिका में किये जाने की न्यायालय की भूल (Act of Court) से वादी के खातेदारी अधिकार हितों को नुकसान नहीं हो सकता। इस संबंध में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने माननीय उच्चतम न्यायालय की फुल बैन्च द्वारा जंगसिंह बनाम बृजलाल व अन्य में पारित निर्णय को न्यायिक दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने मुख्त्यारआम के बयान के आधार पर दावा डिक्री नहीं किया जा सकता है, के संबंध में माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा भिम्मपा व अन्य बनाम अलीसाब व अन्य प्रकरण में दिये गये निर्णय को न्यायिक दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय ने अभिव्यक्त किया है कि "The suit is one for declaration of title and for possession. In a suit for declaration of title, the plaintiff has to establish his title. Title cannot be established by his personal knowledge. It has to be established by producing documents under which he is claiming title, most of the time under a registered document. In so far as documents are concerned Section 61 of the Evidence Act mandates that the contents of documents may be proved either by primary or secondary evidence. Primary evidence means the documentary evidence produced for inspection of the Court. Therefore, when a particular fact is to be established by production of documentary evidence there is no scope for leading oral evidence and there is no scope for personal knowledge. What is to be produced is the primary evidence, i.e., document itself. The said evidence can be produced by the party or by his Power of Attorney Holders. Production of the document, marking of the document is a physical act which does not need any personal knowledge. Even proof of the document is by examining the persons who are well versed with the document or by examining the attesting witnesses or the executant of the document. Again the personal knowledge of the plaintiff has no role to play. In those circumstances it is open to the plaintiff to examine the Power of Attorney Holder, produce the documents through the Power of Attorney Holder, mark the same and examine witnesses to prove the said document if it is denied. Thereofre, the contention that the evidence of a Power of Attorney Holder ucannot prove the case of the plaintiff in all cases is not correct ." विचाराधीन प्रकरण में भी खातेदारी अधिकारों की घोषणा के दावे का राजस्व रिकॉर्ड के दस्तावेजी सबूतों के आधार पर परीक्षण कर निर्णय किया जाना है, इसमें वादी के व्यक्तिगत ज्ञान (Personal Knowledge) के लिये कोई गुंजाइश (Scope) नहीं है।

अधिवक्ता अपीलान्ट/प्रार्थी का कथन है कि उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली ने अपने निर्णय दिनांक 03.05.1995 बउनवानी प्रकरण बहादुर बनाम बद्री वाद संख्या 250/1993 में वादी को गैर खातेदार घोषित किया था। वादी के उक्त स्वीकृत तथ्य के आधार पर वादी का उसी भूमि के संबंध में, उसी अनुतोष के लिये दूसरा नवीन वाद रेस्ज्यूडिकेटा के सिद्धान्त से बाधित है। इस उज्र के संबंध में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि अपीलान्ट ने विचारण न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत अपने जवाब में रेस्ज्यूडिकेटा के बिन्दु को नहीं उठाया है तथा विचारण न्यायालय ने परीक्षण के पश्चात् गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निर्णय कर दिया है। प्रथम अपील के स्तर पर अपीलान्ट द्वारा रेस्ज्युडिकेटा को अपने अपील का आधार नहीं बनाया जा सकता। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय बउनवानी Madhukar D. Shende vs Tarabai Aba Shedage (2002) 2 एस.सी.सी. पेज 85 में अभिनिर्धारित किया है कि " रेस्ज्यूडिकेटा में तथ्य (Fact) तथा न्यायिक प्रश्न (Question of Law) का सम्मिश्रण है। यदि अभिवचन में इस बिन्दु को नहीं उठाया गया है तथा विवादक बिन्दु का निर्माण नहीं हुआ है तो इस आधार को उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। साथ ही अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ द्वारा बल्लूराम साहू व अन्य बनाम श्रीमती लता साहू व अन्य में निर्णय दिनांक 13.03.2014 को न्यायिक दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया जिसमें माननीय न्यायालय ने अभिव्यक्त किया है कि " **Reverting back to the facts of the instant case, the defendants have to establish the plea of resjudicata by raising appropriate pleadings and if pleadings are so raised, issue has to be framed in this regard and upon leading evidence, such plea has to be established before the competent civil Court.** " विचाराधीन प्रकरण में अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के सम्मुख वादोत्तर में रेस्ज्यूडिकेटा के बिन्दु को नहीं उठाया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट (वादी) ने वाद में राज्य सरकार को पक्षकार बनाने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस नहीं दिया। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने जवाब में तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट (प्रतिवादी) ने विचारण न्यायालय के सम्मुख 80 सी.पी.सी. के नाटिस नहीं दिये जाने का तर्क नहीं उठाया। अब प्रथम अपील के इस स्तर पर धारा 80 सी.पी.सी. के नोटिस नहीं दिये जाने के तथ्य को अपील का आधार नहीं बनाया जा सकता। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने न्यायिक दृष्टांत ए.आई.आर. 2011 पटना पेज 187 प्रस्तुत किया जिसमें माननीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि धारा 80 सी.पी.सी. के अंतर्गत नोटिस नहीं दिये जाने का तर्क परीक्षण न्यायालय (Trial Court) में नहीं उठाया गया। अपीलीय न्यायालय में यह तर्क नहीं उठाया जा सकता तथा नोटिस नहीं दिये जाने की शर्त को समाप्त हुआ मान लिया जाता है। वादोत्तर में इस बिन्दु को नहीं उठाने के कारण धारा 80 सी. पी.सी. के तहत् नोटिस दिये जाने की शर्त समाप्त हो गयी है।

अपीलान्ट की आपत्ति है कि मंदिर मूर्ति के शाश्वत नाबालिग होने के कारण सक्षम न्यायालय द्वारा वली नियुक्त किये बिना वाद संस्थित नहीं किया जा सकता, के संबंध में वादी/रेस्पोडेन्ट ने तर्क प्रस्तुत किया कि मंदिर मूर्ति शाश्वत अव्यस्क होने के कारण उसके हितों की रक्षा करना आवश्यक है। इस संबंध में न्यायालय को शक्तियां है कि वह किसी अधिवक्ता को भी वाद/अपील के लिये अधिकृत कर दे अथवा तहसीलदार या Next friend मंदिर मूर्ति के हितों की रक्षार्थ न्यायालय में उनके प्रतिनिधि के रूप में पैरवी कर सकते है। विचाराधीन प्रकरण में तहसीलदार कोटपूतली द्वारा शाश्वत नाबालिग मूर्ति मंदिर श्री ठाकुर जी का सक्षम न्यायालय में प्रतिनिधित्व किया गया है। इस संबंध में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा न्यायिक दृष्टांत 1993 आर.आर.डी. 688 तथा 2018 आर.आर.डी. 71 प्रस्तुत किये गये।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अधिवक्ता अपीलान्ट के भू प्रबंध विभाग में चाराजोरी किये जाने के बिन्दु पर निवेदन किया कि भू प्रबंध विभाग को हक अधिकार के संबंध में निर्णय करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। इस प्रकरण में विवादित कृषि भूमि कोटपूतली उपखण्ड में स्थित है। अतः न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली को ही इस भूमि के अधिकारों की उद्घोषणा का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने दावा मियाद बाहर होने के सम्बन्ध में निवेदन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में हक अधिकारों की घोषणा हेतु कोई मियाद तय नहीं है। अपीलान्ट ने विचारण न्यायालय में वाद हेतुक का बिन्दु नहीं उठाया। अतः विचारण न्यायालय ने वाद हेतुक के संबंध में तनकियात कायम न कर कोई गलती नहीं की है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने निवेदन किया कि अपील मीमों तथा विचारण न्यायालय के सम्मुख लिखित वादोत्तर के अवलोकन से यह तथ्य स्वीकृत है कि ग्राम खेलना तहसील कोटपूतली की विवादित आराजी साबिक खसरा नंबर 1320 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा, 1321 रकबा 11 बिस्वा के हाल खसरा नंबर 838 रकबा 4.11 हैक्टेयर, 839 रकबा 0.03 हैक्टेयर, 837/2666 रकबा 0.25 हैक्टेयर तथा 483/2668 रकबा 0.20 हैक्टेयर बने है। अपीलान्ट ने विचारण न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत वाद के वादोत्तर में स्वीकार किया है कि राजस्व रिकॉर्ड खसरा गिरदावरी मोजा खेलना संवत् 2015 एवं 2023 से 2026 में किसना पुत्र सुखा द्वारा काश्त किया जाना दर्ज है एवं मुताबिक भू प्रबन्ध विभाग की पर्चा खतौनी बंदोबश्त संवत् 2012 से 2017 एवं 2022 से 2026 में कृषक के कॉलम में किशना पुत्र सुक्खा कोम अहीर दर्ज है जबकि कॉलम संख्या 3 में खालसा माफी मंदिर श्री ठाकुर जी दर्ज है। इस स्वीकारोक्ति से वादी के बुजुर्ग का विवादित आराजी पर कब्जा एवं कृषक होना प्रमाणित है। रेस्पोडेन्ट ने विवादित भूमि के जागीर भूमि होने के तथ्य को खण्डित करने हेतु न तो कोई दस्तावेज

राजस्व अपील प्राधिकरण
जयपुर

प्रस्तुत किया है, न ही कोई तर्क प्रस्तुत किया है। राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 के प्रभावी होने के पश्चात् इस अधिनियम की धारा 9 के तहत वादी के बुजुर्ग किसना को निर्धारित तिथि से कृषक होने के कारण स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.05.1995 में वादी को गैर खातेदार घोषित किया है। वादी के बुजुर्ग किशना द्वारा वादी के हक में वसीयत के पश्चात् से वादी मौके पर काबिज है। अपीलान्ट ने वादोत्तर और अपील मीमों में वसीयत को नकारा एवं खण्डित (Deny) नहीं किया है। यह तथ्य विचारण न्यायालय के पूर्व निर्णय दिनांक 03.05.1995 तथा लगान की रसीदों से प्रमाणित है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपने तर्क के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2015 (4) आर.एल.डब्ल्यू. 2721 (राज.) बउनवानी तारा बनाम राजस्थान सरकार व अन्य प्रस्तुत किया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की फुल बैन्च ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जागीर अधिनियम 1952 के लागू होने के पश्चात् शाश्वत नाबालिग होते हुये भी हिन्दू मूर्ति द्वारा अपनी जागीर भूमि को खुदकाश्त के रूप में धारित किया जाना नहीं माना जा सकता। ऐसी भूमि के कृषक को खातेदारी अधिकार अर्जित हो गये।

यहां जागीर एवं जागीर भूमि की परिभाषा को विवेचित किया जाना आवश्यक है। ठाकुर अमर सिंह व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य (ए.आई. आर 1955 एस.सी. 504) में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि जागीर का विशिष्ठ लक्षण (Feature) यह है कि वह सम्प्रभु शासक (Ruller) द्वारा जारी की गई ग्रान्ट (Grant) होती है। राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की प्रथम अनुसूची में जागीर सहित समस्त प्रकार की ग्रान्ट (Grant) का उल्लेख है। माननीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जागीर अधिनियम 1952 के प्रभावी होने के साथ अधिनियम की प्रथम अनुसूची में वर्णित विभिन्न ग्रान्ट (Grant) जिसमें माफी, डोली सहित समस्त प्रकार की जागीर शामिल है, का अधिग्रहण हो गया। परिणामस्वरूप जागीर के रूप में धारित भूमियों पर हिन्दू मूर्ति के जो अधिकार थे वे अब राज्य (State) में निहित (vest) होगे। अतः अधिनियम की धारा 9 के तहत् वे समस्त व्यक्ति जो हिन्दू मूर्ति के आसामी (Tenant) के रूप में जिन भूमियों पर काश्त कर रहे थे, के खातेदार बनकर राज्य के आसामी (Tenant to the state) के रूप में भूमि को धारित करने लगे। उक्त निर्णय को विश्लेषित करते हुये माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने तारा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य (2015 (4) आर. एल.डब्ल्यू 2721 (राज.)) में अभिनिर्धारित किया कि '' The land held in Jagir by Hindu idol (deity) as Dolidar or Muafidar cultivated by a person other than the shebait/Pujari of the deity personally or by hired labour other than the engaged by its Shebait/Pujari as a tenant of the deity, shall vest in the state, after the Jagirs Act of 1952. The Hindu idol (deity), even if it is treated to be a perpetual minor, could not continue to hold such land. Such land cannot be treated to be in its personal cultivation. A tenant of such land cultivating the land acquired the rights of khatedar of the State."

उपर्युक्त न्यायिक दृष्टांतों के प्रकाश में रेस्पोडेन्ट (वाद के वादी) मिसल बंदोबश्त तथा खसरा गिरदावरी से यह प्रमाणित करने में सफल रहे है कि प्रश्नगत भूमि जागीर भूमि थी तथा किसना पुत्र सुखा माफी मंदिर श्री ठाकुर जी ग्राम खेलना के आसामी (Tenant) काबिज काश्तकार थे। अतः किसना पुत्र सुखा को जागीर अधिनियम 1952 की धारा 9 तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सपठित धारा 15 के तहत् प्रश्नगत भूमि (Land in question) पर आसामी (Tenant) के रूप में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे। विचारण न्यायालय ने गुणावगुण (Merit) के आधार पर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.02.2019 पारित करने में कोई त्रुटि कारित नहीं की है, परन्तु विचारण न्यायालय ने आदेशिका में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

विभिन्न सूचनायें अंकित नहीं कर प्रक्रियात्मक त्रुटियां निश्चित रूप से कारित की है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जगसिंह बनाम बृजलाल व अन्य में पारित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त को उद्दरित करना समीचीन होगा। " There is no higher principle for the guidance of the Court than the one that no act of Courts should harm a litigant and it is the bourden and duty of Courts to see that if a person is harmed by a mistake of the Court he should be restored to the position he would have occupied but for that mistake. This is aptly summed up in the maxim: "Actus curiae neminem gravabit."

उपरोक्त विवेचन अनुसार अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर कोटपूतली जयपुर के निर्णय दिनांक 05.02.2019 में न्यायालय हाजा द्वारा दखल करना उचित प्रतीत नहीं होता है। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किया जाना न्यायसंगत है।

5. अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर कोटपूतली, जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय डिक्री दिनांक 05.02.2019 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 11|8|2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर